Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला अजमेर

आरती **बनाम** लेखराज

फौजदारी विविध प्रार्थना पत्र सं. 102/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.04.2022	प्रार्थिया आरती मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी लेखराज अनुपस्थित जिसकी हाजरी माफी जरिए अधिवक्ता पेश हुई जो बाद सुनवाई स्वीकार की गई। शामिल रहे। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। **इस आदेश के द्वारा** प्रार्थिया अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम भरण पोषण राशि दिलाने बाबत का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया आरती का विवाह अप्रार्थी लेखराज के साथ दिनांक 27.04.2012 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शोकलिया में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिया शादी के बाद ससुराल आने–जाने लगी। प्रार्थिया के विवाह के 6 माह पश्चात् प्रार्थिया का पति व उसके ससुराल वाले उसे दहेज में कुछ नहीं देने व कोई संतान नहीं होने के ताने देकर उसे प्रताडित कर उसे परेशान करते थे तथा दहेज में चार लाख रुपए नकद व मोटरसाईकिल की मांग करते थे तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट करते एवं शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित करने लगे। उक्त मांग पूरी नहीं होने प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद करीब 6 महिने से वह अपने पीहर पिता के घर पर ही रह रही है एवं बीमार होने पर उसके पिता ने ही उसका ईलाज करवाया व 40–50 हजार रुपए ईलाज में लगाए। जिस बाबत प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी लेखराज के विरूद्ध पुलिस थाना सराना में एफआईआर सं. 80/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स.में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थिया का पति लेखराज रेलवे में नौकरी करता है जिससे अच्छी आय होती है तथा प्रार्थिया स्वयं बेरोजगार महिला है एवं प्रार्थिया के आंतों में सूजन होने से अक्सर बीमार रहती है जिसका ईलाज भी चल रहा है जिससे प्रार्थिया कार्य करने में सक्षम नहीं है। प्रार्थिया को अपने भरण पोषण व अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं इत्यादि खर्चों हेतु प्रार्थिया को अंतरिम भरण पोषण हेतु अप्रार्थी से रुपए 40,000/– मासिक दिलाया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थिया को अपने लिए अप्रार्थी से अंतरिम भरण पोषण राशि रुपए 50,000/– मासिक दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने घर का त्याग किया गया है। अप्रार्थी आज भी उसे अपने साथ रखने व स्वयं के साथ अपने घर ले जाने के लिए इच्छुक है, किंतु प्रार्थिया स्वयं अपनी मर्जी से घर से दूर रह रही है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को प्रताड़ित करने, दहेज की मांग को लेकर परेशान करने व मारपीट कर घर से निकाल देने के तथ्य को अप्रार्थी के द्वारा झूठा बताया गया है। प्रार्थिया स्वयं अपनी मर्जी से जीवनयापन करना चाहती है एवं अपनी मर्जी से पति का त्याग कर रखा है। अप्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने माता–पिता का भरण–पोषण करता है। इसलिए प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तर्कों की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रार्थिया का अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी होना एवं वर्तमान में अपने पीहर में निवास करने के तथ्य उभयपक्षों में विवादित नहीं है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में	

अप्रार्थी व उसके परिजनों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने, घर से निकाल देने के आरोप लगाए गए हैं। जबकि अप्रार्थी की ओर से उक्त सभी तथ्यों को गलत बताया जाना तथा प्रार्थिया–अप्रार्थी के मध्य पति–पत्नी का संबंध स्थापित नहीं होने तथा बिना किसी कारण के अप्रार्थी का परित्याग कर रखा होने के तथ्यों को दौराने बहस कथन किया जाना दर्शित होता है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध तथ्यात्मक कथन किए गए हैं तथा आरोप लगाए गए हैं, जिन तथ्यों के बाबत इस स्तर पर साक्ष्य के अभाव में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना न्यायसंगत प्रकट नहीं होता है। जहां तक प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी का रेलवे में नौकरी करना बताया गया है, परंतु इस संबंध में नौकरी और आय के बाबत कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित है व प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी लेखराज के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.स. में प्रकरण दर्ज करवाया जाना भी प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। चूंकि, प्रार्थिया वर्तमान में अपने पीहर में निवास कर रही है। ऐसे में प्रार्थिया का अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी होने से उसके भरण–पोषण का दायित्व अप्रार्थी का होता है। जहां तक प्रार्थिया का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग कर देने का प्रश्न है तो प्रथमतः यह प्रश्न तथ्यात्मक है जो साक्ष्य के पश्चात् अवधारित करने योग्य है। द्वितीयतः इसके संबंध में अप्रार्थी सक्षम स्तर पर विधिक कार्यवाही बाबत प्रार्थिया को वापस लाने के लिए करने हेतु स्वतंत्र है। इस स्तर पर साक्ष्य के अभाव में उक्त तथ्य को स्थापित नहीं माना जा सकता। जहां तक अप्रार्थी की आय का संबंध है तो इस संबंध में भी प्रार्थिया द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए तथ्यों का विरोध करते हुए अप्रार्थी का कथन रहा है कि उस पर अपने माता–पिता व सामाजिक दायित्वों की पूर्ण जिम्मेदारी है। उक्त तर्कों की रोशनी में न्यायालय को यह भी देखना है कि अप्रार्थी के ऊपर अपने माता–पिता की जिम्मेदारी भी होना व उनका निर्वाह उसके द्वारा किया जाना भी उसका नैतिक दायित्व है, किंतु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थिया का भरण–पोषण करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अप्रार्थी की है। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विधि की दृष्टि में यह आवश्यक है कि अप्रार्थी अपनी पत्नी का भरण पोषण करें। इस आधार पर मूल प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थिया को अपने भरण–पोषण हेतु अंतरिम राशि अप्रार्थी से दिलाए जाने बाबत अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाए जाने अन्तरिम भरण–पोषण राशि विरूद्ध अप्रार्थी को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 1 के द्वितीय पर्तक के अनुसार प्रार्थिया व उसके पुत्र के भरण–पोषण बाबत राशि रुपए 1,500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपए प्रतिमाह आदेश की दिनांक से अदा करेगा। भरण–पोषण की राशि हर माह के लिए उस माह की प्रथम तारीख पर उपागत होगी जो आगामी माह की 01 से 10 तारीख तक अदा की जावेगी। इस बाबत आवेदिका अपने बैंक खाते का विवरण आगामी तारीख पेशी तक प्रस्तुत करेगी। अप्रार्थी या तो न्यायालय में पैसे जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करेगा या राशि का भुगतान न्यायालय में करेगा। यदि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी से किसी अन्य जगह से कोई भरण पोषण के रूप में कोई राशि प्राप्त की जा रही है तो उक्त राशि इसमें समायोजित की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने साक्ष्य प्रार्थिया हेतु दिनांक 25.05.2022 को पेश हो।